

21 June Discussion on e-Justice Delivery- Opportunities and Challenges held at ICAI University



इक्फाई विवि में ई-न्याय वितरण : अवसर एवं चुनौतियां विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन

रांची। चर्चा मंच श्रृंखला के एक भाग के रूप में इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड द्वारा 'भारत में ई-न्याय वितरण: अवसर और चुनौतियां' पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। प्रमुख वक्ताओं में बीरेश कुमार, रजिस्ट्रार, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, भारत सरकार, प्रशांत कुमार सिंह, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, झारखंड, चंदन कुमार सिंह, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लोक अभियोजक और प्रदीप कुमार भट्टाचार्य, अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय के थे। पैनल के सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.ओआरएस राव ने किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी की सहायता से न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जून 2020 तक, लगभग 3.27 करोड़ मामले भारतीय अदालतों के समक्ष प्रस्तुत हैं, जिनमें से लगभग 85,000 30 से अधिक वर्षों के लिए लंबित हैं। यह प्रशासनीय है कि कोविड महामारी के महानजर, भारतीय उच्च न्यायालयों और

सर्वोच्च न्यायालय ने शीघ्रता से ई-फाइलिंग और ई-सुनवाई का सहारा लिया, जिससे तत्काल मामलों में न्याय वितरण की निरंतरता सुनिश्चित हुई। प्रो.राव ने कहा कि हालांकि, देश भर में ई-कोर्ट प्रणाली को लागू करने के लिए कई चुनौतियां हैं।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, बिरेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट पहल की पहल पर प्रकाश डाला, जो 2005 में शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि ब्लॉक चैन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम तकनीकों को पायलट आधार पर तैनात किया जा रहा है और विभिन्न कानूनी अनुप्रयोगों के लिए कई मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के प्रासंगिक विषय को चुनने के लिए आईसीएफएआई विश्वविद्यालय की सलाहना करते हुए प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कैसे झारखंड में न्यायपालिका ने सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी को अपनाया है, बुजुर्ग अधिवक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों और युवा अधिवक्ताओं ने कैसे उनकी मदद की है। हालांकि उन्होंने जिला

और तालुक स्तरों पर प्रणाली के कार्यान्वयन की आवश्यकता व्यक्त की, जहां वादी और अधिवक्ता प्रौद्योगिकी से परिचित नहीं हैं। चंदन कुमार सिंह ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा चिंताओं और पूरे भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के मानक निर्धारण की कमी जैसी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। प्रदीप कुमार भट्टाचार्य ने न्याय के न्याय शास्त्रीय पहलू के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि ई-न्याय केवल पूरक हो सकता है लेकिन न्यायाधीशों की बुद्धि का विकल्प नहीं हो सकता है। प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कई दिलचस्प प्रश्नों को पैनल के सदस्यों द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय की विधि संकाय की प्रोफेसर आश्वति गुप्ता ने किया। धान्यवाद प्रस्ताव विधि संकाय के सहायक प्रोफेसर प्रो. आलोक कुमार ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने कार्यक्रम का समन्वय किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सहायक डीन डकक भगवत बारिक और अन्य संकाय सदस्यों, छात्रों ने भाग लिया।



इक्फाई विवि में अवसर और चुनौतियों पर पैनल चर्चा

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। चर्चा मंच शृंखला के एक भाग के रूप में इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड द्वारा भारत में ई-न्याय वितरण: अवसर और चुनौतियों पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। प्रमुख वक्ताओं में बीरेश कुमार, रजिस्ट्रार, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, भारत सरकार, प्रशांत कुमार सिंह, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया झारखंड के चंदन कुमार सिंह, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लोक अभियोजक प्रदीप कुमार भप्ताचार्य थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बिरेश कुमार ने

सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट पहल की पहल पर प्रकाश डाला, जो 2005 में शुरू हुआ था।

उन्होंने बताया कि ब्लॉक चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम तकनीकों को पायलट आधार पर तैनात किया जा रहा है और विभिन्न कानूनी अनुप्रयोगों के लिए कई मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय की विधि संकाय की प्रोफेसर आकृति गुप्ता और धन्यवाद प्रस्ताव विधि संकाय के सहायक प्रो आलोक कुमार ने किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सहायक डीन डॉ. भागवत बारिक और अन्य संकाय सदस्यों, छात्रों ने भाग लिया।


**Ranchi, Tuesday
22 June 2021**

Panel Discussion on 'e-Justice Delivery: Opportunities and Challenges' held at ICFAI University

RANCHI: A Panel Discussion on "e-Justice Delivery in India : Opportunities and Challenges" was organised by the ICFAI University, Jharkhand organized as a part of Charcha Manch Series. Key Speakers were Mr. Biresh Kumar , Registrar, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, Govt. of India, Mr. Prashant Kumar Singh , Member, Bar Council of India, Jharkhand, Mr. Chandan Kumar Singh , Public Prosecutor for Central Bureau of Investigation (CBI) and Mr. Pradeep Kumar Bhattacharyya , Advocate, Jharkhand High Court.

Welcoming the panel members and the participants, Prof. O R S Rao, Vice-Chancellor of the university said , "According to the Supreme Court , as of June 2020 , about 3.27 crore cases were pending before Indian courts, of which about 85,000 have been pending for over 30 years. Justice delayed is justice denied. Deployment of Technology could help in transformation of justice delivery , by speeding up disposal of cases and making justice accessible to a common man at less cost ". " It is commendable that in the wake of COVID pandemic , Indian High Courts and the Supreme Court quickly resorted to e-filings and e-hearings , thereby ensuring continuity of justice delivery in urgent cases. However, in order to implement the e-Courts system across the country, there are a number of challenges.", added Prof Rao.

Addressing the participants, Mr. Biresh Kumar enlightened on the initiatives of the e-Courts initiative of the Supreme Court , which was started in 2005 and completed phase-I and phase-II and is currently in phase-III. He explained that latest technologies like Block Chain and Artificial Intelligence are being deployed on a pilot basis and a number of mobile apps are being used for various legal applications.

Appreciating the ICFAI University for choosing a relevant topic like this, Mr. Prashant Kumar Singh explained how Judiciary in Jharkhand has successfully adopted technology , the challenges faced by the elderly advocates and how the younger advocates helped them. However he expressed the need for implementation of the system at the district and taluk levels, where the litigants as well as advocates are not conversant with technology. Mr. Chandan Kumar Singh highlighted the major challenges faced like internet infrastructure, cyber security concerns and lack of standardisation of video conferencing platforms across India . Mr. Pradeep Kumar Bhattacharyya presented his views about the jurisprudential aspect of justice and said that e-justice can only be supplement but not a substitute for the intellect of the judges.

A number of interesting queries raised by the participants were addressed by the panel members.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न्यायिक क्षेत्र में कदम रखा है : वीरेश कुमार

■ इक्फाइ विवि में परिचर्चा

रांची. केंद्रीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलिय न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार वीरेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की इ-कोर्ट की पहल पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी न्यायिक क्षेत्र में कदम रखा है.

नवीनतम तकनीकों को पायलट आधार पर तैनात किया जा रहा है. कानूनी प्रयोग के लिए कई मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है. श्री वीरेश सोमवार को इक्फाइ विवि की ओर से आयोजित भारत में ई-न्याय वितरण, अवसर और चुनौतियां विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में न्यायपालिका ने सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी

को अपनाया है. सीबीआइ के लोक अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा चिंताओं और पूरे भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के मानकीकरण की कमी पर प्रकाश डाला. झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्टाचार्या ने कहा कि ई-न्याय केवल पूरक हो सकता है, लेकिन न्यायाधीशों के ज्ञान का विकल्प नहीं हो सकता. इससे पूर्व कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा कि जून 2020 तक लगभग 3.27 करोड़ मामले अदालतों के समक्ष हैं, जिनमें लगभग 85 हजार मामले 30 से अधिक वर्षों से लंबित हैं. संचालन प्रो आकृति गुप्ता व धन्यवाद ज्ञापन प्रो आलोक कुमार ने किया. इस अवसर पर सहायक डीन डॉ भागवत बारिक आदि उपस्थित थे.

